निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–75 / 15
दायरा दिनांक :–05.10.15
निर्णय दिनांक :– 14.11.22

उनवान

चम्पालाल पुत्र श्री बिरधी लाल जाति बेरवा (चमार) निवासी पुरानी बस्ती बेरवा ग्राम इकलेरा हाल मुकाम बाग बस्ती शाहबाद दरवाजा बारां तहसील बारां जिला बारां

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, बारां जिला बारां राज0
2. नारायणी बाई पुत्री श्री बिरधी लाल पत्नी श्री छोटू लाल जाति चमार निवासी शाहबाद दरवाजा बारां तहसील बारां जिला बारां

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक– 14.11.22

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री अजीतसिंह चौहान एड0– वादी
2. श्री लक्ष्य भारद्वाज एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89आर0टी0एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम इकलेरा तहसील बारां के माल में खसरा नं0 548 की रकबा 0.62 हे0 जिसका साबिक खसरा नं0 366 की रकबा 0.62 हे0 बतौर भूमि धारक राजस्थान सरकार स्थित है। इसे वाद पत्र से विवादित आराजियात के नाम से अंकित किया गया है। सन् 1970 में मिसल सं0 413 के पृष्ठाकंन अनुसार उक्त भूमि वादी के पिता मृतक बिरधी लाल पुत्र श्री छीतर लाल जाति चमार निवासी इकलेरा को एलोटमेन्ट नियमानुसार की गयी थी तब से ही वादी का परिवार इस भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। तथा आज भी वादी काबिज काश्त है। बाद सेटलमेन्ट नियमानुसार वादी के पिताश्री बिरधीलाल के हक में तहसीलदार बारां तहसील बारां से पट्टा भूमि गैरखातेदारी का जारी किया जो कि वाद पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण यह वादग्रस्त भूमि [illegible] राजस्थान सरकार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रही है। जबकि [illegible] भूमि वादी के पिता बिरधी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

लाल के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होना चाहिए था। वादी के पिताश्री बिरधी लाल का देहान्त हो गया है। उसके एकमात्र लडका वादी है। तथा उत्तराधिकारी वादग्रस्त भूमि है। तथा वादी के हक में बिरधीलाल की मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अमल दरामद किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं किया इस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। एलोटी वादग्रस्त भूमि बिरधी लाल का उत्तराधिकारी वादी होने के कारण वादी को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है। कि वह विवादग्रस्त भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित करवा सके। मृतक बिरधीलाल पिता वादी के पिता के अलावा एक लडकी नारायणीबाई प्रतिवादी कमांक 2 है जो वाद का आवश्यक पक्षकार है। तथा जिसके द्वारा वादी के हक में इस विवादग्रस्त भूमि का हक त्याग कर दिया है। तथा उसके द्वारा बतौर वादी पक्षकार नहीं बनने के कारण वाद में प्रतिवादी कमांक 2 बनाया गया है। विवादग्रस्त भूमि का वादी कानूनी खातेदार है। तथा उसे हक है कि वह अपने हक में विवादग्रस्त भूमि को न्यायालय श्रीमान से खातेदार घोषित करवा सके। विवादग्रस्त भूमि पर एलोटमेन्ट वर्ष 1970 से ही पूर्व में वादी का पिता तथा उसकी मृत्यु के बाद वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है। तथा आज भी वादी काबिज है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश हुआ वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम दौलतपुरा सम्वत् 2067–70 खाता सं0 1, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–57, फोटो प्रति आवंटन पट्टा, नकल नक्शा ट्रेस, रसीद लगान, नोटिस 91, नकल जमाबन्दी ग्राम इकलेरा सम्वत् 2070–73, पेश की गई। साक्ष्य वादी में चम्पालाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई हैः–

<u>तनकी नं01ः–</u> आया कि ग्राम इकलेरा मे खं0 नं0 548 रकबा 0.62 हे0 जिसका साबिक ख0 नं0 366 रकबा 0.62 हे0 भूमि धारक राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज है। उक्त भूमि सन् 1970 मे वादी के पिता मृतक बिरधीलाल पुत्र छीतरलाल जाति चमार निवासी इकलेरा को आवंटन की गई थी।

<u>–वादी</u>

<u>तनकी नं02ः–</u> आया कि उक्त विवादित आराजी पर आवंटन के बाद से पिता बिरधीलाल का तथा उनकी मृत्यु के बाद वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा सैटलमेन्ट के बाद तहसीलदार बारां द्वारा गैर खातेदारी का पट्टा वादी के पिता को जारी किया गया। वादी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।

<u>–वादी</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

(3)

तनकी नं03:– आया कि उक्त भूमि गैर खातेदारी के बाद वादी के पिता के खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु वर्तमान मे भी राज्य सरकार के नाम दर्ज है। जिसे अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।
–वादी

तनकी नं04:– अनुतोष।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा तहसील बारां मे स्थित है। सन्1970 मे वादी के पिता बिरधीलाल पुत्र छीतरलाल जाति चमार को नियमानुसार आवंटन की गई थी। तबसे वादी का परिवार उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आज भी वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। एलोटमेन्ट भूमि का पट्टा जारी किया तथा विवादित भूमि गैर खातेदारी वादी के पिता के नाम दर्ज हुई। परन्तु विवादित भूमि राज्य सरकार के खाते मे दर्ज कर दी गई। जिसे वादी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी का वाद तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:–

तनकी नं01:– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम इकलेरा सम्वत् 2070–73 के अनुसार विवादित भूमि ख0 नं0 548 रकबा 0.62 हे0 राज्य सरकार के खाते मे दर्ज है। वादी जिस आधार पर वाद पेश किया है, उस पट्टे की छायाप्रति पेश की है। मूल व सत्य प्रति पेश नही की है। वादी द्वारा विवादित आराजी के आवंटन बाबत कोई रिकार्ड पेश नही किया है। जिससे यह साबित हो सके कि वादी पिता को इस दिनांक को भूमि आवंटन की गई है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे साबिक ख0 नं0 366 का रकबा 0. 62 हे0 अंकित किया है जबकि उक्त आवंटन सेटलमेन्ट से पहले का होने से बीघा मे होना चाहिए था। वादी के पिता को विवादित भूमि आवंटन हुई थी एवं कब्जा दिया था। तो वादी के पिता के पक्ष मे गैर खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। वादी द्वारा गैर खातेदारी की नकल पेश नही की है। अतः वादी विवादित आराजी उसके पिता बिरधा को सन्1970 मे आवंटन हुई है। साबित करने मे विफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं02:– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा विवादित आराजी पर आवंटन के बाद से पिता बिरधीलाल व उनकी मृत्यु के बाद वादी स्वंय का कब्जा काश्त होना बताया है। लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जो यह साबित कर सके की आवंटन के समय से ह[illegible] का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने अपने कब्जे के समर्थन मे धार[illegible] दिनांक 29.09.15 को दर्ज होना बताया है उक्त नोटिस अनुसार वादी का कब्जा बतौर अतिक्र[illegible] है। वादी द्वारा इतने विलम्ब के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

पेश करना विधि विरूद्ध है। विवादित आराजी पर वादी अपना कब्जा साबित करने मे विफल रहे है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित कि जाती है।

तनकी नं0 3:– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा राजस्व जमाबंदी की ऐसी कोई नकल पेश नही की जिससे वादी के पिता का नाम जमाबंदी मे गैर खातेदारी मे दर्ज हो। वादी गैर खातेदारी मे या आवंटन होने का कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नही किया ना कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। जिससे यह साबित हो सके की विवादित आराजी वादी के पिता के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज रही है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय से वादी अपना वाद प्रमाणित करवाने मे सफल नही रहा है। वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

[illegible] संख्या 134/2015	अन्तर्गत 88,89,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 14.11.22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री लक्ष्य भारद्वाज	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

चम्पालाल पुत्र श्री बिरधी लाल जाति बेरवा (चमार) निवासी पुरानी बस्ती बेरवा ग्राम इकलेरा हाल मुकाम बाग बस्ती शाहबाद दरवाजा बारां तहसील बारां जिला बारां –वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, बारां जिला बारां राज0
2. नारायणी बाई पुत्री श्री बिरधी लाल पत्नी श्री छोटू लाल जाति चमार निवासी शाहबाद दरवाजा बारां तहसील बारां जिला बारां –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 14.11.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्डअधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:29:08 IST
Reason: SelfAttested

		व्ययानु[illegible]	
क्र.सं.	व्यय मद	[illegible]	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		

Scanned with CamScanner